



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2104]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 24, 2016/भाद्र 2, 1938

No. 2104]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 24, 2016/BHADRA 2, 1938

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2016

का.आ. 2787(अ).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गन्ना (नियंत्रण) (संशोधन) आदेश, 2006 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थातः—

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम गन्ना (नियंत्रण) (संशोधन) आदेश, 2016 है।
- (2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. गन्ना (नियंत्रण), आदेश, 1966 में, -

(क) खण्ड 6 के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थातः-

6-ग. औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन को कार्यान्वित करने के लिए समय-सीमा

केन्द्रीय सरकार को औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन को फाइल करने की तारीख से प्रभावी उपाय करने के लिए नियत समय तीन वर्ष होगा और वाणिज्यिक उत्पादन पांच वर्ष के भीतर प्रारंभ होगा जिसके न हो सकने पर औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन जहां तक इस आदेश के उपबन्धों का संबंध है, अमान्य हो जाएगा और निष्पादन प्रत्याभूति समपूत हो जाएगी।

“परंतु मुख्य निदेशक (शर्करा) खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् उन मामलों में, जिनमें नियंत्रण से परे किन्हीं अकल्पित परिस्थितियों जैसे प्राकृतिक आपदाएं, सूखा या किसी वर्ष में गैर मौसम के दौरान गन्ना (कच्ची सामग्री की अनुपलब्धता जिसमें विस्तारित वैध अवधि समाप्त हो जाती है, शर्करा सेक्टरों का गैर वित्त पोषण पर्यावरणीय या अन्य कारण से न्यायालय द्वारा भू-उपयोग के लिए अनुज्ञा पर रोक के कारण विलंब अंतर्वर्तित है, अधिकतम दो वर्ष का विस्तार प्रदान कर सकेगा जो एक समय में एक वर्ष से अधिक नहीं होगा। ऐसे सभी मामलों में विस्तार या तो प्रभावी उपाय करने के लिए या शर्करा उत्पादन प्रारंभ करने के लिए, यदि आवश्यक हो, संबंधित राज्य सरकारों से परामर्श करके मंजूर किया जाएगा।”;

(ह) सा.का.नि. 35/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 05.06.1967

भारत निष्पादन गारंटी कानून सौदा की जाएगी यदि :-

- (i) कमिनिबल इत्यादि सात वर्ष की नियत अवधि जिसके अंतर्गत विस्तार के दो वर्ष भी हैं के भीतर प्रारंभ किया जाता है
- (ii) कमिनिबल इत्यादि परियोजना प्रस्तावक से न माने जा सकने वाले कारणों से सात वर्ष के पश्चात् भी प्रारंभ नहीं किया जाता है और उसे गुणागुण के आधार पर पूर्णतः स्थापित किया जाता है और लेखबद्ध किया जाए;
- (iii) परियोजना प्रस्तावक स्वप्रेरणा से औद्योगिक उद्यमी जापान के फाइल किए जाने की तारीख से दो वर्ष के भीतर इसको छोड़ने का विकल्प लेता है और सम्यक् औचित्य के साथ निष्पादन गारंटी की वापसी के लिए अनुरोध करता है।

[फा. सं. 27(4)/2006-एसटी खण्ड-2]

प्रशांत त्रिवेदी, संयुक्त सचिव

संदर्भ:- मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण में आदेश सं. सा.का.नि. 1126 (अ). आवश्यक वस्तु/गन्ना, तारीख 16 जुलाई, 1996 के अधीन प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात् उसमें निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया था:-

1. सा.का.नि.35/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 05.06.1967
2. सा.का.नि.159/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 17.10.1967
3. सा.का.नि.945/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 18.05.1968
4. सा.का.नि.1456/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 02.08.1968
5. सा.का.नि.402/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 25.09.1974
6. सा.का.नि.492/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 12.09.1975
7. सा.का.नि.542/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 27.10.1975
8. सा.का.नि.484/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 26.07.1974
9. सा.का.नि.799/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 13.09.1976
10. सा.का.नि.913/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 09.12.1976
11. सा.का.नि.197/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 29.03.1978
12. सा.का.नि.79/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 24.02.1982
13. सा.का.नि.695/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 09.09.1983
14. सा.का.नि.903/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 29.11.2000
15. सा.का.नि.113/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 20.02.2003
16. सा.का.नि.204/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 22.03.2004
17. आदेश सं. का.आ.1940(इ) तारीख 10.11.2006

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION
(Department of Food and Public Distribution)

ORDER

New Delhi, 24th August, 2016.

S.O. 2787(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Sugarcane (Control) Order, 1966, namely:—

1. (1) This Order may be called the Sugarcane (Control) (Amendment) Order, 2016.
- (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Sugarcane (Control) Order, 1966,—

(a) for clause 6C, the following clause shall be substituted, namely:—

“6C. Time-limit to implement Industrial Entrepreneur Memorandum.— The stipulated time for taking effective steps shall be three years and commercial production shall commence within five years with effect from the date of filing the Industrial Entrepreneur Memorandum with the Central Government, failing which the Industrial Entrepreneur Memorandum shall stand de-recognised as far as provisions of this Order are concerned and the performance guarantee shall be forfeited:

Provided that the Chief Director (Sugar), Department of Food and Public Distribution, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution may, after the expiry of the aforesaid period, give extension of maximum two years, not exceeding more than a year at a time, in cases involving delay due to any unforeseen circumstances beyond control, such as, natural calamities, drought or non-availability of sugarcane (raw material) during off season in a year wherein the extended validity period terminates, non-financing of sugar sectors, stay on permission for land use by the courts due to environmental or other reason. In all such cases extension shall be granted in consultation with respective State Governments, if necessary, either for taking effective steps or for commencement of sugar production.”;

(b) after clause 6D, the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided that the performance guarantee shall be returned if,—

- (i) the commercial production is commenced within the stipulated period of seven years including two years of extension;
- (ii) the commercial production is not commenced even after seven years for reasons not attributable to the project proponent and the same is fully established on merit and be recorded in writing;
- (iii) the project proponent, *suomotu*, opts to forego its Industrial Entrepreneur Memorandum within two years from the date of its filing and requests for return of performance guarantee with due justification.”.

[F. No. 27(4)/2006-ST (Vol. II)]

Prashant Trivedi, Jt. Secy.

Foot Note.—The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary under Order number G.S.R. 1126, (E), Ess.Com/Sugarcane dated the 16th July, 1966 and was subsequently amended vide:—

1. G.S.R. 35/Ess.Com/Sugarcane dated 05.06.1967
2. G.S.R. 159/Ess.Com/Sugarcane dated 17.10.1967
3. G.S.R. 945/Ess.Com/Sugarcane dated 18.05.1968
4. G.S.R. 1436/Ess.Com/Sugarcane dated 02.08.1968
5. G.S.R. 402/Ess.Com/Sugarcane dated 25.09.1974
6. G.S.R. 492/Ess.Com/Sugarcane dated 12.09.1975
7. G.S.R. 542/Ess.Com/Sugarcane dated 27.10.1975
8. G.S.R. 484/Ess.Com/Sugarcane dated 26.07.1974
9. G.S.R. 799/Ess.Com/Sugarcane dated 13.09.1976
10. G.S.R. 913/Ess.Com/Sugarcane dated 09.12.1976
11. G.S.R. 197/Ess.Com/Sugarcane dated 29.03.1978

12. G.S.R. 79/Ess.Com/Sugarcane dated 24.02.1982
13. G.S.R. 695/Ess.Com/Sugarcane dated 09.09.1983
14. G.S.R. 903/Ess.Com/Sugarcane dated 29.11.2000
15. G.S.R. 113/Ess.Com/Sugarcane dated 20.02.2003
16. G.S.R. 204/Ess.Com/Sugarcane dated 22.03.2004
17. Order No. S.O. 1940 (E) dated 10.11.2006

RAJ
KUMAR

Digitally signed
by RAJ KUMAR

Date:

2016.08.26

23:18:17 +05'30'